रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012020-215342
CG-DL-E-11012020-215342

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 8, 2019/पौष 18, 1941
No. 14] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8, 2019/ PAUSHA 18, 1941

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2020

सा.नि.का. 16.(अ)—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), 1986 (1986 का 29) की धारा और 6 शक्तियों का प्रयोग करते हुएद्वारा प्रदत्त 25निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करती है जिसे एतद्वारा, पर्यावरण नियम (संरक्षण), 1986 के नियम ) नियम-के उप 53के तहत यथापेक्षित (, इससे प्रभावित होने वाले जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है-; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जन साधारण के लिए उपलब्ध कराने की तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने की तारीख को या उसके उपरांत विचार किया जाएगा;

प्रारूप अधिसूचना में अंत विष्ट प्रस्तावों संबंध में कोई आपत्ति करने या सुझाव देने का इच्छुक कोई व्यक्ति उसे ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ लिखित रूप में सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को अग्रेषित कर सकता है अथवा ऐसी आपत्ति या सुझाव मंत्रालय के ई मेल-mscb.cpcb@nic.in तथा h.kharkwal@nic.in पर सदस्य सचिव, सीपीसीबी और वैज्ञानिक 'ई' को प्रेषित कर सकता है।

**प्रारूप अधिसूचना**

केन्द्रीय सरकार पर्यावरण नियम (संरक्षण), 1986 में आगे संशोधन लाने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् -:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–** (1)इस नियमों को पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2020 कहा जाएगा।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम रूप से प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची-I में क्रम सं. 114 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतर्विष्ट की जाएंगी, अर्थात्:-

| क्रसं.. | उद्योग | मानदंड | मानक |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| "115 | हॉट मिक्स प्लांट | स्टैक उत्सर्जन में विविक्त कणों की सांद्रता $mg/Nm^3$ | |
| | | बैच हॉट मिक्स प्लांट | 150 |
| | | ड्रम हॉट मिक्स प्लांट | 300 |

टिप्पणी:

i. स्टैक की ऊंचाई की गणना (क) स्टैक ऊंचाई (Hs)=$14(Q)^{0.3}$ जहां Q किग्रा/घंटा में $SO_2$ की उत्सर्जन दर है; और (ख) स्टैक ऊंचाई (Hpm)=$74(Q)0.^{27}$ जहां Q टन/घंटा में PM की उत्सर्जन दर है। जिस स्टैक की ऊंचाई अधिक होगी उसकी गणना कीजाएगी।

ii. भट्टी तेल और रबड़ प्रसंस्करण तेल के प्रयोग से परहेज किया जाएगा।

iii. सामग्री के हथालन से उत्पन्न धूल उत्सर्जन को जल का छिड़काव करके या धूल उत्सर्जन वाले स्थानों को ढक करके नियंत्रित किया जाएगा।

iv. परिसरों में आंतरिक सड़कों, कार्य-स्थलों, सामग्री चढ़ाने और उतारने के क्षेत्रों को पक्का बनाया जाना चाहिए उन्हें हमेशा साफ रखना चाहिए।

v. पुनर्चक्रित अस्फाल्ट पेवमेंट (आरएसपी) के प्रयोग की अनुमति दी जाएगी।

vi. हॉट मिक्स के प्रसंस्करण के अवशिष्टों या बची हुई सामग्री को प्रक्रिया के तहत पुन्‌ःचक्रित किया जाना चाहिए।

vii. प्रचालन के चरण के अंत में अर्थात् संयंत्र को विघटित करने के उपरांत उस स्थान को फिर से बहाल किया जाएगा।

[फा.सं. क्यू-15017/14/2018-सीपीडब्ल्यू]

जिग्मेत टक्पा, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी:** मूल नियम तारीख 19 नवम्बर, 1986 की अधिसूचना सं. का.आ. 844(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तारीख 26 दिसम्बर, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 952(अ) द्वारा उसे पिछली बार संशोधित किया गया।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2020

**G.S.R. 16(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any suggestions or objections on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, or send it to Member Secretary, CPCB and Scientist 'E' Ministry at the e-mail address i.e. mscb.cpcb@nic.in and h.kharkwal@nic.in.

### Draft Notification

The Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. **Short title and commencement**- (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, after serial number 114 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

| S. No. | Industry | Parameter | Standards |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| "115 | **Hot Mix Plant** | Particulate Matter Concentration mg/Nm$^3$ in stack emission | |
| | | Batch Hot Mix Plant | 150 |
| | | Drum Hot Mix Plant | 300 |

**Note:**

(i) The stack height shall be calculated as (a) Stack height (Hs) = $14(Q)^{0.3}$ where, Q is the $SO^2$ emission rate in kg/h; and (b) Stack height (Hpm) = $74(Q)^{0.27}$ where, Q is the PM emission rate in ton/h. The stack height whichever is higher shall apply.

(ii) Use of furnace oil and rubber process oil shall be avoided.

(iii Dust emission from material handling shall be contained with water sprinkling or covering of the points of dust emission.

(iv) The internal roads, working platform, loading and unloading areas in premises should be paved and kept clean all times.

(v) Use of Recycled Asphalt Pavement (RSP) shall be allowed.

(vi) Any process rejects or left over of the hot mix should be recycled in the process.

(vii) The site shall be reinstated at the end of operation phase i.e. after dismantling the plant".

[F.No. Q-15017/14/2018-CPW]

JIGMET TAKPA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and last amended vide notification number G.S.R. 952(E), dated the 26th December, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA